Form No. III
फर्दअहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

गीतादेवी वगैराह बनाम **राजकुमार वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम, 1994**

किस्म मुकदमा **निगरानी (पंचायत)** नं0 **002** सन् **2023**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.03.2023	निगरानी (पंचायत) प्रार्थना–पत्र बाद जांच पेश हुआ। निगराकारान स्वयं हाजिर। हाजिर निगराकारान अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत गैर–निगराकारान के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। निगरानी (पंचायत) को दर्ज के बिन्दु पर सुना गया। प्रश्न–गत निगरानी (पंचायत) में महत्वपूर्ण सारगर्भित तथ्य होना प्रतीत होता है, अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को विचारणार्थ ग्रहण किया जाता है। निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जावें। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। निगराकारान द्वारा निगराधीन पट्टा संख्या 151 दिनांक 06.12.201 जो कि 134/2021–22 से ग्राम पंचायत गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी किया जाना जाहिर होता है। तहसील क्षेत्र गंगरार के पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत सुनवाई किये जाने वाले के प्रकरणों की क्षेत्राधिकारिता न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर चित्तौड़गढ़ को ऐसी स्थिति न्याय हित में निगराकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी को न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर चित्तौड़गढ़ को अंतरित की जाकर निर्देशित किया जाता है। उभपक्षकारान को सूचित करते हुए अधिनियम 1994 के प्रावधानों के समुचित सुनवाई की जाकर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किया जावें। मूल पत्रावली मय आदेशिका के न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर चित्तौड़गढ़ को भिजवाई जावें एवं अहकाम एवं निगरानी प्रार्थना–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि इस न्यायालय में रिकार्ड पर रखी जावें, तद्नुसार इस न्यायालय में पत्रावली नम्बर से कम की जावें एव अभिलेख में आदेशानुसार अंकन किया जावें। अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को तहरीर जारी करें। आदेश सुनाया गया। -S/D- **(अरविन्द कुमार पोसवाल)** जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ 17.03.2023 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	